

कार्यालय

क्रमांक :

दिनांक :

आयकर कटौती प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय/विद्यालय में पदस्थापित समस्त कार्मिकों से वित्त वर्ष 2021–22 हेतु आयकर गणना पत्र प्राप्त कर लिये हैं, एवं समस्त आयकर गणना पत्रों की जांच कर नियमानुसार आयकर की कटौती कर ली है।

वेतन से की जाने वाली कटौतियों के अलावा अन्य विनियोग और छूट सम्बन्धी दस्तावेज कार्मिकों से प्राप्त कर लिये गये हैं एवं कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रख लिये गये हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत आयकर गणना के साथ संलग्न ट्यूशन फीस रसीदों की सावधानी पूर्वक जांच कर ली गई है तथा किसी भी कार्मिक को विदेशी संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस या किसी कोचिंग संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस की आयकर में राहत प्रदान नहीं की गई है। इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थाओं की दान की गई राशि के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी स्तर पर आयकर में छूट प्रदान नहीं की गई।

वित्त वर्ष 2021–22 में संवेतन के अन्तर्गत आयकर की कटौती नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में मेरा होगा।

हस्ताक्षर आहरण वितरण अधिकारी

Know more :

<https://rajsevak.com/incometax>